

अनुसूचक प्रमाण पत्र आवेदनपत्र के साथ प्रमाणपत्र के साथ ही प्रेषित किया जाये।

**अनुसूचक प्रमाण पत्र**

मे विनोद पासवान (सामान्य प्रमाणपत्र का नाम)  
 सामान्य प्रमाणपत्र, जहाँ प्रमाणित जनाड़ी विभाग  
 जिला बुबड़ जिला बलिपा  
 प्रमाणित कार्यालय है कि श्री/श्रीमती  
सुमित कुमार (उपस्थित का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती  
मंजी पासवान (पिता/माता का नाम), निवासी  
 (सामान्य प्रमाणपत्र का नाम), निवासी  
 आधार संख्या 544071258797 (आधार संख्या) है, जो राष्ट्रीय  
 मानक प्रमाणित जनाड़ी में पंजीकृत निवासी के प्रमाणपत्र/प्रमाणित  
 और रजिस्ट्रार में न्यूनतम 2 वर्षों तक जारी किया है।

मे प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।  
 यदि मेरे द्वारा उपरोक्त कथन सत्य प्रमाणित नहीं किया जाये तो मैं अपने एवं मेरे परिवार/जनता पर  
 जाते हैं कि मैं इस प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार के प्रयोग की विवेक की जाये वाली कार्यवाही के लिए  
 मे स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक 02/04/2026

विनोद पासवान  
 (निवासी और प्रमाणित)  
 सामान्य प्रमाणपत्र के नाम  
 नाम विनोद-जनाड़ी  
 जिला बुबड़-बुबड़,  
 जिला बलिपा (उप)